

निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

सुश्री बिन्दु बाला राजावत आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी
 प्रकरण सं. 26/2019 वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट. 1955

- 1- श्रीमती हुलासी पिता केशुराम ब्राहमण नि. भाटोली तह. बड़ीसादड़ी
 2- श्रीमती रामकन्या पिता केशुराम ब्राहमण नि. भाटोली तह. बड़ीसादड़ी

- वादीगण

|| बनाम ||

- 1- श्रीमती पार्वतीबाई पिता उदयलाल ब्राहमण नि. भाटोली तह. बड़ीसादड़ी
 2- श्रीमती भगवतीबाई पत्नी उदयलाल ब्राहमण नि. भाटोली तह. बड़ीसादड़ी
 3- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त हो चुका है। माफिक फर्द बटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -मौजा भाटोली पटवार हल्का भाटोली की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

- 1- श्री देवकिशन पिता लछमण 31/42 ब्राहमण रहन बदस्तुर रामकन्या पुत्री केशुराम 11/84 हुलासी पुत्री केशुराम 11/84 ब्राहमण सा. देह खातेदार

आ. नं.	रकबा	लगान
567 मी	1.89	13.23
1	1.89	13.23

- 2- श्रीमती पार्वतीबाई पिता उदयलाल 1/2 भगवतीबाई पत्नी उदयलाल 1/2 ब्राहमण सा. देह खा.

आ. नं.	रकबा	लगान
567/1	0.90	6.30
1	0.90	6.30

- 3- श्री देवकिशन पुत्र लछमण 1/2 रामकन्या पुत्री केशुराम 1/4 हुलासी पुत्री केशुराम 1/4 ब्राहमण सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर

आ. नं.	रकबा	लगान
401	0.01	+
402	0.41	5.01
568	1.26	8.82
690.	0.61	4.27
4	2.29	18.10

- 4- श्री देवकिशन पुत्र लछमण 1/2 रामकन्या पुत्री केशुराम 1/4 हुलासी पुत्री केशुराम 1/4 ब्राहमण सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर

आ. नं.	रकबा	लगान
384	0.26	6.76
390	0.42	10.92
572	0.02	+
691	0.03	+
4	0.73	17.68

- 5- श्री देवकिशन पुत्र लछमण 11/19 रामकन्या पुत्री केशुराम 4/19 हुलासी पुत्री केशुराम 4/19 ब्राहमण सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर

आ. नं.	रकबा	लगान
396 मीन	0.20	2.60
1	0.20	2.60

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे। निर्णय आज दिनांक 21.2.22 को सरे ईजलास में सुनाया गया।



बिन्दु बाला राजावत (आर.ए.एस.)
 सहायक कलक्टर
 बड़ीसादड़ी